This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
https://rajpatra.hp.gov.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 18 मई, 2026 / 28 वैशाख, 1948

हिमाचल प्रदेश सरकार

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
HIMACHAL PRADESH
Form -6
[*See* rule - 9]
Notice Of Adoption Of Existing Land Use Map

Shimla, the 6th May, 2026

No. HIM/TP/PJT/PA-Arki/2014/Vol-I/- 815-837.—Whereas, objections and suggestions were invited *vide* Notice No. HIM/TP/PJT/PA-Arki/2014/Vol-I/10937-62, Dated 29-03-2022

published in Rajpatra on 06-04-2022 with respect to the Existing Land Use Map of **Arki Planning Area**, under sub-section (1) of Section 15 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977); and whereas, objection and suggestion were received and the modification have been made in the said Existing Land Use Map, wherever, required.

Now, therefore, in exercise of the powers vested under sub-section (3) of Section 15 of the Act *ibid*, Notice is given that the Existing Land Use Map for **Arki Planning Area** is hereby adopted with modifications and a copy thereof is available for inspection during office hours in the following offices:—

1. The Director,
   Town and Country Planning Department,
   Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar,
   Kasumpati, Shimla, Himachal Pradeh.

2. The Town and Country Planner,
   Divisional Town Planning Office,
   Solan, District Solan, Himachal Pradesh.

3. The Secretary,
   Nagar Panchayat, Arki,
   District Solan, Himachal Pradesh.

The said Existing Land Use Map shall come into operation with effect from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh and it shall be conclusive evidence of the fact that the Map has been duly prepared and adopted.

Place: Shimla

Date: 06-05-2026

Sd/-
(HEMIS NEGI),
Director,
Town and Country Planning Deptt.

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION, HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल, शिमला-171002 Armsdale, Shimla-171 002. Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154
E-mail:- secysec-hp@nic.in

OFFICE ORDER

Shimla-2, the 16th May, 2026

No.SEC(F)10-21-/2020-II-7585-89.—Whereas the Returning Officer-*cum*-Block Development Officer Surani, district Kangra *vide* his Letter No. DBS/Election-2026-1540, dated 16-05-26 has informed that the Assistant Engineer Jal Shakti Vibhag Sub-Division Dhaneta *vide* its letter No. JSV-DNT-Elect.2026-27/276-77, dated 16-05-26 has intimated that Sh. Anil Kumar s/o Sh. Babu Ram a candidate for the post of Pradhan, Gram Panchayat Kopra, Dev. Block Surani is working as Senior Assistant in Jal Shakti Vibhag Sub-Division Dhaneta. He has further informed that the said officer has not been attending the office *w.e.f.* 02-03-26 without any intimation;

And Whereas, Section 122 (1) (i) of the Himachal Panchayati Raj 1994 provides that a person shall be disqualified for being chosen as office bearer of a Panchayat if he is in the employment or service under any Panchayat or of any other local authority or Co-operative Society or the State Government or Central Government or any Public Sector Undertaking under the Control of the Central or the State Government;

And Whereas, the name of said Sh. Anil Kumar has been included in the list of validly nominated candidates prepared by the concerned ARO. Further, he has also been allotted symbol "Wrist Watch" and his name is placed at Sr. No. 1of the list of contesting candidates;

In view of facts, submitted here-in-above the State Election Commission is of the considered view that the process of scrutiny undertaken for the post of Pradhan in G.P. Kopra by the ARO has been vitiated. Therefore, the State Election Commission in exercise of power vested in it under Article 243K of the Constitution of India, Section 160(1) of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 read with the rule 32 (5) of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Election Rule, 1994 and all other plenary powers vested in this behalf, hereby invalidates the process of scrutiny undertaken by the ARO in respect of post of Pradhan Gram Panchayat Kopra, Dev. Block Surani, District Kangra.

Further, the State Election Commission hereby directs that the ARO will undertake the process of scrutiny afresh on 17-05-26 at 2.00 P.M. Onwards. Any validly nominated candidate may withdrawal his candidature by 19th May, 2026 before 3.00 P.M. Immediately after the time of withdrawal is over, the ARO shall prepare fresh list of contesting candidates under Rule, 41 on form 24 and the symbol already allotted on the said date to them shall not be changed as the contesting Candidates are already canvassing on the said symbols. The process with regard to allotment of symbol to other contesting candidates (except Sh. Anil Kumar the Govt. servant) is hereby validated to this extent. The ARO will ensure that a due written notice is given to all the contesting candidates including Sh. Anil Kumar, for the scrutiny of nomination paper as per schedule given above. Further, the poll for all the posts in respect of this Panchayat shall be undertaken on 30th May, 2026 between 7.00 A.M. to 3.00 P.M. and Counting in respect of Gram Panchayat Kopra shall be undertaken immediately after the closing of Poll at the Gram Panchayat Head Quarter. The District Election Officer–*cum*-Deputy Commissioner Kangra will ensure that soon after the list of contesting Candidates is published, same shall also be sent to the Commission through a special messenger intimating the number of electors in Gram Panchayat Kopra in order to carry out printing of fresh ballot paper for the post of Pradhan in the Himachal Pradesh Govt. Printing Press Ghora Chowki Shimla-5.

By order,
ANIL KUMAR KHACHI,
State Election Commissioner.

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION, HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल, शिमला-171002 Armsdale, Shimla-171 002. Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154
E-mail:- secysec-hp@nic.in

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th May, 2026

No. SEC(F)1-45/2024-I-7732.—Whereas the Returning Officer -*cum*- Block Development Officer, Development Block Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh has informed that the

Assistant Returning Officer, Gram Panchayat Dalgaon, Development Block Rohru, District Shimla has prepared the list of contesting candidates without following the alphabetic order for the post of Pradhan. Further, he has also allotted the symbols to the contesting candidates in a jumbled manner without following the sequence of symbols notified by the Commission;

And whereas, the State Election Commission is of considered view that the contesting candidates for the post of Pradhan Gram Panchayat Dalgaon have been canvassing on the symbols allotted to them by the Assistant Returning Officer. Therefore, in order to avoid the confusion among the voters it will be appropriate, just and equitable that order of contesting candidates as mentioned in Form-24 and symbols allotted to them are kept unchanged;

Therefore, the State Election Commission in exercise of power vested in it under Article 243 K of Constitution of India, Section 160 (1) of Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 read with Rule 32 (5) of the Himachal Pradesh Panchayat Raj (Elections) Rules, 1994 and all other plenary powers vested in it in this behalf, hereby validates the order of contesting candidates mentioned in Form-24 and sequence of symbols allotted to the contesting candidates for the post of Pradhan Gram Panchayat Dalgaon, Development Block Rohru, District Shimla for the ensuing elections.

By order,
Sd/-
ANIL KUMAR KHACHI,
State Election Commissioner.

SETTLEMENT DEPARTMENT, KANGRA AT DHARAMSHALA (H.P.)

Settlement Officer, Kangra Division at Dharamshala, Contact No. 01892-222443
e-mail:settledsala-hp@nic.in

CORRIGENDUM

Dated, the 04th May, 2026

No. KGS/Final Land Revenue Assessment/ HPP/-2025-26/2133.—In the Notification, of this department No. KGS/Assessment/2026-512, dated 2nd February, 2026 published in the e-Gazette on dated 05-02-2026, for Hydro Projects in respect of District Kangra at page No. 11025, for Sr. No. 58 "Gaj-II Hydro Power Project by Raheja Hydro Power Pvt. Ltd."at Column No. III, Name of Sub-Division "Shahpur", may be read as Sub-Division "Dharmshala"; and at page No. 11026, for Sr. No. 71, Column No. III, "Pong Dam Hydro Power Project by BBMB", Name of Sub-Division "Fatehpur" be read as Sub-Division "Dehra".

Similarly, for Hydro Projects in respect of District Chamba, at Page No. 11027, for Sr. No. 76, Column III, name of "Sub-Division Churah at Bhattiyat" be read as "Tehsil Sihunta, Sub-Division Bhattiyat"; and in Column No. IV, Name of Mohal/Hadbast No. "Guila, Dhaneli, Shikari, RF Bada, RF Danga Makhua, Khajua, Shrigarh, Jungra, Chhappa, Junas, Guwadi, Kuthed, Dounri, Buin, Siri" may be read as "Bhujal, Gudhal, Kumharka"; and for Sr. No. 79, Column IV, Name of Mohal/ Hadbast No. "Bhujal (291), Tikari (279), Jassur (277), Dukhar (275), Kumharka (282)" may be read as "Bhujal (291), Tikari (279), Jassur (277), Dukhar (275)"; and further at Column III, for Sr. No. 91, 114, 116 and 120 at page No. 11028 & 11030 the Name of Sub-

Division "Churah" may be read as "Tehsil Salooni, Sub-Division Salooni" for Sr. No. 91, and "Tehsil Holi, Sub-Division, Bharmour" for Sr. No. 114, 116 and 120.

Sd/-
AKSHEY SOOD (I.A.S.),
Settlement Ofiicer-cum-Revenue Ofiicer
-in-charge (Spl. Assessment),
Kangra Division at Dharamshala.

ब अदालत उप–मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा श्री संजीव कुमार वर्मा पुत्र श्री सत पाल वर्मा, निवासी हाउस नं0 154–बी0, मेन मारकेट, बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती पूनम कुमारी पुत्री श्री राम सिंह, निवासी गांव ओयल, नजदीक कृष्णा स्टील फैक्टरी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, (हि0प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.–प्रार्थना–पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी श्री संजीव कुमार वर्मा पुत्र श्री सत पाल वर्मा, निवासी हाउस नं0 154–बी0, मेन मारकेट, बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती पूनम कुमारी पुत्री श्री राम सिंह, निवासी गांव ओयल, नजदीक कृष्णा स्टील फैक्टरी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 10–10–1997 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति–रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 10–10–1997 को दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20–05–2026 या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें। अन्यथा श्री संजीव कुमार वर्मा पुत्र श्री सत पाल वर्मा, निवासी हाउस नं0 154–बी0, मेन मारकेट, बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती पूनम कुमारी पुत्री श्री राम सिंह, निवासी गांव ओयल, नजदीक कृष्णा स्टील फैक्टरी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत उप–मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा श्री अमित कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी मकान नं0 21, रौडा, सैक्टर नं0 03, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती पूजा शर्मा पुत्री श्री सुरेश कुमार शर्मा, निवासी मकान नं0 161, डियारा सैक्टर नं0 1, वार्ड नं0 9, बिलासपुर शहर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 ..... प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.–प्रार्थना–पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी श्री अमित कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी मकान नं0 21, रौडा, सैक्टर नं0 03, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती पूजा शर्मा पुत्री श्री सुरेश कुमार शर्मा, निवासी मकान नं0 161, डियारा सैक्टर नं0 1, वार्ड नं0 9, बिलासपुर शहर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 14–02–2009 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति–रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 14–02–2009 को दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20–05–2026 या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें। अन्यथा श्री अमित कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी मकान नं0 21, रौडा, सैक्टर नं0 03, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती पूजा शर्मा पुत्री श्री सुरेश कुमार शर्मा, निवासी मकान नं0 161, डियारा सैक्टर नं0 1, वार्ड नं0 9, बिलासपुर शहर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

————

In the Court of Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Nirmla Devi

Versus

General Public

Notice to General Public.

Nirmla Devi d/o Hans Raj, r/o Village Raili, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.) has applied in this office for the entry of her date of birth which took place on 22-10-1971 but due to ignorance it could not be entered in the record of Gram Panchayat Raili. In this regard, The applicant Nirmla Devi has submitted the requisite documents mentioning her date of birth as 22-10-1971.

General public is hereby informed through this notice that if anyone has any objection regarding the entry of date of birth of the applicant *i.e.* 22-10-1971, they can either in person or through counsel can file their objections before the undersigned within 30 days from the date of publication of this notice, otherwise the matter shall be proceeded further accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 25-04-2026.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate,
Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Naib Tehsildar-cum-**Executive Magistrate Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Kamla Devi

Versus

General Public

Notice to General Public.

Kamla Devi d/o Jagat Ram, r/o Village Phagoti, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.) has applied in this office for the entry of her date of birth which took place on 15-03-1966 but due to ignorance it could not be entered in the record of Gram Panchayat Railly. In this regard, The applicant Kamla Devi has submitted the requisite documents mentioning her date of birth as 15-03-1966.

General public is hereby informed through this notice that if anyone has any objection regarding the entry of date of birth of the applicant *i.e.* 15-03-1966, they can either in person or through counsel can file their objections before the undersigned within 30 days from the date of publication of this notice, otherwise the matter shall be proceeded further accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 23-04-2026.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate,
Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Naib Tehsildar-cum-**Executive Magistrate Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Asha Kumari

Versus

General Public

Notice to General Public.

Asha Kumari d/o Nanak Chand, r/o Village Kharal, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.) has applied in this office for the entry of her date of birth which took place on 20-05-1960 but due to ignorance it could not be entered in the record of Gram Panchayat Dhangota. In this regard, The applicant Asha Kumari has submitted the requisite documents mentioning her date of birth as 20-05-1960.

General public is hereby informed through this notice that if anyone has any objection regarding the entry of date of birth of the applicant *i.e.* 20-05-1960, they can either in person or through counsel can file their objections before the undersigned within 30 days from the date of publication of this notice, otherwise the matter shall be proceeded further accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 21-04-2026.

Seal. Sd/-
Executive Magistrate,
Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Naib Tehsildar-cum-**Executive Magistrate Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Anjana Devi

Versus

General Public

Notice to General Public.

Anjana Devi d/o Udho Ram, r/o Village Sohari, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.) has applied in this office for the entry of her date of birth which took place on 10-12-1963 but due to ignorance the it not be entered in the record of Gram Panchayat Sohari. In this regard, The applicant Anjana Devi has submitted the requisite documents mentioning her date of birth as 10-12-1963.

General public is hereby informed through this notice that if anyone has any objection regarding the entry of date of birth of the applicant *i.e.* 10-12-1963, they can either in person or through counsel can file their objections before the undersigned within 30 days from the date of publication of this notice, otherwise the matter shall be proceeded further accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 21-04-2026.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate,
Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

श्रीमती शारदा देवी पुत्री श्री तेगू राम, महाल फतेहपुर, डाकघर फतेहपुर, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती शारदा देवी पुत्री श्री तेगू राम, महाल फतेहपुर, डाकघर फतेहपुर, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ–पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। शारदा देवी अपनी जन्म तिथि 06–04–1967 को ग्राम पंचायत भुम्पल के रिकार्ड में दर्ज न करवा सकी तथा अब वह अपनी उक्त जन्म तिथि 06–04–1967 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत भुम्पल में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस सरकारी इश्तहार गज़ट द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त श्रीमती शारदा देवी पुत्री श्री तेगू राम, की जन्म तिथि 06–04–1967 को ग्राम पंचायत भुम्पल के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 24–05–2026 को तहसील कार्यालय नादौन, जिला हमीरपुर को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। आम जनता की ओर से कोई भी उजर या एतराज न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी एवं सरला कुमारी की जन्म तिथि 06–04–1967 को ग्राम पंचायत भुम्पल में दर्ज करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 23–04–2026 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –

कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री जसवन्त सिंह, महाल लाहड़ कोटलू, डाकघर सुधियाल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री जसवन्त सिंह, महाल लाहड़ कोटलू, डाकघर सुधियाल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ–पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है सतीश कुमार अपनी जन्म तिथि 28–11–1984 को ग्राम पंचायत लाहड़ कोटलू के रिकार्ड में दर्ज न करवा सकी तथा अब वह अपनी उक्त जन्म तिथि 28–11–1984 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत लाहड़ कोटलू में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सरकारी इश्तहार गज़ट द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सतीश कुमार पुत्र श्री जसवन्त सिंह, की जन्म तिथि 28–11–1984 को ग्राम पंचायत लाहड़ कोटलू के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 24–05–2026 को तहसील कार्यालय नादौन, जिला हमीरपुर को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। आम जनता की ओर से कोई भी उजर या एतराज न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी एवं सतीश कुमार की जन्म तिथि 28–11–1984 को ग्राम पंचायत लाहड़ कोटलू में दर्ज करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 23–04–2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

––––––––––

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Smt. Kamlesh Kumari d/o Sh. Gobind Singh, Village Amman, P.O. Amman, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.). .. *Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003. Whereas, Smt. Kamlesh Kumari d/o Sh. Gobind Singh, Village Amman, P.O. Amman, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering of her date of birth 04-05-1967 could not be registered in the record of Gram Panchayat Amman.

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth Smt. Kamlesh Kumari d/o Sh.

Gobind Singh, can may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 20-05-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Smt. Meeran Devi d/o Sh. Raghoo Nath, Village Balokhar, P.O. Town Bhrari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.). .. *Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003. Whereas, Smt. Meeran Devi d/o Sh. Raghoo Nath, Village Balokhar, P.O. Town Bhrari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering of her date of birth 03-05-1962 could not be registered in the record of Gram Panchayat Nandhan.

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth Smt. Meeran Devi d/o Sh. Raghoo Nath, canmay submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 20-05-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Smt. Anitu Kumari d/o Sh. Ranbir Singh, Village Chamboh, P.O. Chamboh, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.). .. *Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003. Whereas, Smt. Anitu Kumari d/o Sh. Ranbir Singh, Village Chamboh, P.O. Chamboh, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering of her date of birth 22-09-1979 could not be registered in the record of Gram Panchayat Chamboh.

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth Smt. Anitu Kumari d/o Sh. Ranbir Singh, can may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 20-05-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 22 / तह0 / 26 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती तारीख पेशी : 23–05–2026

अमर सिंह बनाम आम जनता।

नोटिस बनाम.–अमर सिंह पुत्र श्री सुंका राम, निवासी गांव अगोजर, डा0 अन्द्रेटा, तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें प्रार्थी ने अपने पिता के नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया है। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने व्यक्त किया है कि उसके पिता का नाम महाल अगोजर खास के राजस्व अभिलेख में गलती से सुंका हो गया है, जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका सही नाम सुंका राम है।

अतः मुश्त्री–मुनादी / अखबारी इश्तहार / ई–राजपत्र हि0प्र0 द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम सुंका राम है अतः इस बारे किसी को कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23–05–2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30–04–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –

(अभिषेक भास्कर),
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
पंचरूखी, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 21 / तह0 / 26 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती तारीख पेशी : 23–05–2026

ओंकार चन्द राणा बनाम आम जनता।

नोटिस बनाम.–ओंकार चन्द राणा पुत्र श्री चैन सिंह राणा, निवासी गांव व डा0 व्याडा, तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया है। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने व्यक्त किया है कि उसका नाम महाल व्याडा के राजस्व अभिलेख में गलती से ओंकार चन्द हो गया है व उसके पिता का नाम चैन चन्द हो गया है, जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका सही नाम ओंकार चन्द राणा पुत्र श्री चैन सिंह राणा, व उसके पिता का नाम श्री चैन सिंह राणा है।

अतः मुश्त्री–मुनादी / अखबारी इश्तहार / ई–राजपत्र हि0प्र0 द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का सही नाम ओंकार चन्द राणा पुत्र श्री चैन सिंह राणा व उसके पिता का नाम श्री चैन सिंह राणा है अतः इस बारे किसी को कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23–05–2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30–04–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(अभिषेक भास्कर),
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
पंचरूखी, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 16 / तह0 / 26 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती तारीख पेशी : 21–05–2026

पहाड सिंह बनाम आम जनता

नोटिस बनाम.–पहाड सिंह पुत्र श्री गंगू राम, निवासी गांव अप्पर दतल, डा0 टिक्कर, तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन हैं। इसमें प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया है। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने व्यक्त किया है कि उसका नाम महाल दत्तल के राजस्व अभिलेख में गलती से पहाडू हो गया है, जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका सही नाम पहाड सिंह पुत्र श्री गंगू राम है।

अतः मुश्त्री–मुनादी / अखबारी इश्तहार / ई–राजपत्र हि0प्र0 द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का सही नाम पहाड सिंह पुत्र श्री गंगू राम है अतः इस बारे किसी को कोई भी उजर या एतराज हो

तो वह दिनांक 21–05–2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30–04–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(अभिषेक भास्कर),
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
पंचरूखी, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 18 / तह0 / 26 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती तारीख पेशी : 23–05–2026

कुलतार सिंह बनाम आम जनता।

नोटिस बनाम.–कुलतार सिंह पुत्र श्री हरि राम, निवासी गांव दत्तल, डा0 टिक्कर, तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन हैं। इसमें प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया है। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने व्यक्त किया है कि उसका नाम महाल दत्तल के राजस्व अभिलेख में गलती से मूल राज हो गया है, जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका सही नाम कुलतार सिंह पुत्र श्री हरि राम है।

अतः मुश्त्री–मुनादी / अखबारी इश्तहार / ई–राजपत्र हि0प्र0 द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का सही नाम कुलतार सिंह पुत्र श्री हरि राम है अतः इस बारे किसी को कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23–05–2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30–04–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(अभिषेक भास्कर),
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
पंचरूखी, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 17 / तह0 / 26 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती तारीख पेशी : 23–05–2026

किरण कुमारी बनाम आम जनता।

नोटिस बनाम.–किरण कुमारी पुत्री श्री भगत राम हाल पत्नी श्री सुभाष सिंह, निवासी गांव दोहल, डा0 पटटी, तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन हैं। इसमें प्रार्थिया ने अपने नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया है। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थिया ने व्यक्त किया है कि उसका नाम महाल दोहल के राजस्व अभिलेख में गलती से किरण देवी हो गया है, जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका सही नाम किरण कुमारी है।

अतः मुश्त्री–मुनादी / अखबारी इश्तहार / ई–राजपत्र हि0प्र0 द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया का सही नाम किरण कुमारी पुत्री श्री भगत राम है अतः इस बारे किसी को कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23–05–2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30–04–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(अभिषेक भास्कर),
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
पंचरूखी, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 28 / तह0 / 26 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती तारीख पेशी : 22–05–2026

प्रेम चन्द बनाम आम जनता।

नोटिस बनाम.–प्रेम चन्द पुत्र श्री नरात्रू, निवासी गांव द्रमण, डा0 पाहडा, तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया है। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने व्यक्त किया है कि उसका नाम महाल द्रमण के राजस्व अभिलेख में गलती से प्रेमू हो गया है, जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका सही नाम प्रेम चन्द पुत्र श्री नरात्रू है।

अतः मुश्त्री–मुनादी / अखबारी इश्तहार / ई–राजपत्र हि0प्र0 द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का सही नाम प्रेम चन्द पुत्र श्री नरात्रू है अतः इस बारे किसी को कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22–05–2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30–04–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(अभिषेक भास्कर),
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
पंचरूखी, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 03 / TEH / 2026 तारीख पेशी : 23–05–2026

श्रीमती आशा देवी पुत्री श्री भगत राम हाल विधवा स्व0 श्री कवि कुमार, निवासी गांव बरोहर, डा0 रक्कड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0प्र0।

बनाम

आम जनता / ग्राम पंचायत कैलाशपुर

प्रार्थना–पत्र अधिनियम धारा 13 (III) जन्म / मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती आशा देवी पुत्री श्री भगत राम हाल विधवा स्व0 श्री कवि कुमार, निवासी गांव बरोहर, डा0 रक्कड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि इनकी माता की मृत्यु गांव कैलाशपुर में दिनांक 02–01–2023 को हुई है। लेकिन ग्राम पंचायत कैलाशपुर के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः अब इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर एवं एतराज हो तो वह दिनांक 23–05–2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा जुध्या देवी की मृत्यु पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत कैलाशपुर को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30–04–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 09 / 2026 तारीख पेशी : 23–05–2026

श्री केवल चन्द पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी गांव कस्बा जुगेहड, डा0 पाहडा, तहसील पुचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता / ग्राम पंचायत कस्बा जुगेहड

प्रार्थना–पत्र अधिनियम धारा 13 (III) जन्म / मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री केवल चन्द पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी गांव कस्बा जुगेहड, डा0 पाहडा, तहसील पुचरूखी, जिला कांगड़ा हि0प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि इनकी माता की मृत्यु गांव कस्बा जुगेहड में दिनांक 31–08–1977 को हुई है। लेकिन ग्राम पंचायत कस्बा जुगेहड के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः अब इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर एवं एतराज हो तो वह दिनांक 23–05–2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे

हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा सिमरो देवी की मृत्यु पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत कस्बा जुगेहड को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30–04–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 08 / TEH / 2026 तारीख पेशी : 23–05–2026

श्रीमती विमला देवी पुत्री श्री जोहण्डू राम, निवासी गांव भम्बेड़, डा0 मकोल, तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता / ग्राम पंचायत मकोल

प्रार्थना–पत्र अधिनियम धारा 13 (3) जन्म / मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती विमला देवी पुत्री श्री जोहण्डू राम, निवासी गांव भम्बेड़, डा0 मकोल, तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा हि0प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि इनका जन्म गांव सल्याणा में दिनांक 15–06–1952 को हुआ है। लेकिन ग्राम पंचायत मकोल के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः अब इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर एवं एतराज हो तो वह दिनांक 21–05–2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा विमला देवी की जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत मकोल को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30–04–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत श्री अभिषेक, भास्कर तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 27 / तह0 / 26 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती तारीख पेशी : 22–05–2026

संसार चन्द राणा बनाम आम जनता।

नोटिस बनाम.–संसार चन्द राणा पुत्र श्री वीर सिंह, निवासी गांव लदोह, डा0 व तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया है। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने व्यक्त किया है कि उसका नाम महाल ठाकुरद्वारा के राजस्व अभिलेख में गलती से संसार चन्द हो गया है व उसके पिता का नाम वीरू हो गया है, जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका सही नाम संसार चन्द राणा पुत्र वीर सिंह व उसके पिता का नाम वीर सिंह है।

अतः मुश्त्री–मुनादी / अखबारी इश्तहार / ई–राजपत्र हि0प्र0 द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का सही नाम संसार चन्द राणा पुत्र वीर सिंह व उसके पिता का नाम वीर सिंह किये जाने बारे किसी को कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22–05–2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30–04–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
(अभिषेक भास्कर),
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
पंचरूखी, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 26 / तह0 / 26 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती तारीख पेशी : 22–05–2026

गौरव पंडित बनाम आम जनता।

नोटिस बनाम.–गौरव पंडित पुत्र श्री वीरेन्दर पाल, निवासी गांव व डा0 व्याडा, तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया है। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने व्यक्त किया है कि उसका नाम महाल व्याडा के राजस्व अभिलेख में गलती से गौरव हो गया है व उसके पिता का नाम वीरेन्दर कुमार हो गया है, जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका सही नाम गौरव पंडित पुत्र श्री वीरेन्दर पाल व उसके पिता का नाम वीरेन्दर पाल है।

अतः मुश्त्री–मुनादी / अखबारी इश्तहार / ई–राजपत्र हि0प्र0 द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का सही नाम गौरव पंडित पुत्र श्री वीरेन्दर पाल व उसके पिता का नाम वीरेन्दर पाल करने बारे किसी को कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22–05–2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30–04–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
(अभिषेक भास्कर),
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
पंचरूखी, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0)।

समक्ष सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सरस्वती नगर, उप–तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0प्र0)

श्री देविन्द्र सिंह पुत्र धमिया पुत्र किमा, निवासी नगाली–शाशन, डाकघर सोलंग, उप–तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0प्र0) ..वादी।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त नाम दुरुस्ती सेहत इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड उप–महाल नगाली–शाशन व महाल सोलंग पटवार वृत्त पन्द्राणू में सही दर्ज कराने बारे।

यह दरख्वास्त श्री देविन्द्र सिंह उर्फ देविया पुत्र धनिया, निवासी गांव नगाली–शाशन, डाकघर सोलंग, उप–तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में मय शपथ–पत्र सहित स्वयं प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का उप–महाल नगाली–शाशन व महाल सोलंग पटवार वृत्त पन्द्राणू में मलकीयत आराजी है जिसमें प्रार्थी का नाम देविया है, जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी ने पुष्टि हेतु परिवार नकल, आधार कार्ड, पैन कार्ड व स्वयं सत्यापित ब्यान हल्फिया की प्रति आवेदन–पत्र के साथ संलग्न की है। प्रार्थी अपना नाम उपरोक्त वाका चक उप–महाल नगाली–शाशन व महाल सोलंग के मालकागजात में देविया के स्थान पर देविन्द्र सिंह उर्फ देविया पुत्र धनिया दुरुस्त / दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी का नाम उप–महाल नगाली–शाशन व मोहाल सोलंग पटवार वृत्त पन्द्राणू, उप–तहसील सरस्वतीनगर के मालकागजात में देविया के स्थान पर देविन्द्र सिंह उर्फ देविया पुत्र धनिया दुरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22–05–2026 को दोपहर 2.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर / एतराज पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 23–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0)

मिसल सं0 : 1 / 2026 संस्थापन तिथि : 23–04–2026

उज्जैनी चौहान पुत्री जगदीश चौहान व पल्लवी चौहान, निवासी ब्रामु, डाकघर बखोल, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.– जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

इस अदालत में उज्जैनी चौहान पुत्री जगदीश चौहान व पल्लवी चौहान, निवासी ब्रामु, डाकघर बखोल, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0) का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(2 / 3) तथा हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 9(2 / 3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, शिमला, जिला शिमला, पत्र संख्या एच.एफ.डब्ल्यू–एस.एम.एल. / (MOH)जन्म एवं मृत्यु / एस.टी / 2026–1204, दिनांक 13–02–2026 के माध्यम से इस कार्यालय / न्यायालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें शपथ–पत्र प्रार्थी व गवाहन, अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड संलग्न किए हैं। जिसमें शपथ–पत्र प्रार्थी व गवाहन के अनुसार उज्जैनी चौहान पुत्री जगदीश चौहान व पल्लवी चौहान का जन्म दिनांक 03–03–2008 को ग्राम ब्रामु में हुआ था तथा किसी कारणवश वह अपनी पुत्री का नाम ग्राम पंचायत बखोल के जन्म / मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज न कर सका है। जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि उनकी पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बखोल में दर्ज / पंजीकृत की जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इसके सम्बन्ध में कोई उजर / एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर इस न्यायालय में असालतन व वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाए। एक माह की अवधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति / उजर काबिले समायत न होगा तथा जन्म तिथि 03–03–2008 को सम्बन्धित पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0)

केस नं0 : 5 / 2024 तारीख मजरूआ : 22–07–2024

श्रीमती निलमा देवी पत्नी श्री पलस राम, निवासी ढांगवी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र हि0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37 व 38 के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थिया श्रीमती निलमा देवी पत्नी श्री पलस राम, निवासी ढ़ागवी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी, परिवार नकल, ग्राम पंचायत हलाईला (प्रेमनगर), राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी महाल ढांगवी कलां व ढांगवी खुर्द, आधार कार्ड सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि मेरा नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त प्रेमनगर के महाल ढांगवी कलां व ढांगवी खुर्द, में श्रीमती निर्मला पत्नी स्व0 पलस राम दर्ज हो गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। जिसे प्रार्थिया अब दुरुस्त करवाना चाहती है। प्रार्थिया का नाम मुताबिक ब्यान हल्फी, परिवार नकल ग्राम पंचायत हलाईला (प्रेमनगर) में श्रीमती निर्मला के स्थान पर नीलमा देवी दर्ज करवाना चाहती है।

इसके अतिरिक्त तथ्यों की पुष्टि हेतु पटवारी हल्का प्रेमनगर से छानबीन करवाई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा राजस्व माल कागजात के अनुसार महाल ढ़ांगवी कलां व ढांगवी खुर्द में प्रार्थिया का नाम निर्मला दर्ज है। जिसे दुरुस्त करने बारे पटवारी हल्का प्रेमनगर द्वारा सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इसके संबंध में कोई उजर / एतराज हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करवाए। अन्यथा एक माह की अवधि के पश्चात् कोई भी उजर / एतराज समायत न होगा तथा नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

वाद संख्या : 04 / 26 तारीख दायार : 05–05–2026

1. श्री विनोद कुमार पुत्र राम स्वरुप, निवासी गांव व डा0 भुट्टी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––प्रार्थना–पत्र बाबत ग्राम पंचायत निरथ में मृत्यु पंजीकरण बारे।

यह दरख्वास्त श्री विनोद कुमार पुत्र राम स्वरुप, निवासी गांव व डा0 भुट्टी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 ने इस कार्यालय में अपने दादा स्व0 श्री हिरा लाल पुत्र कृपा राम, निवासी गांव नरोला, डा0 निरथ, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0प्र0 की मृत्यु तिथि जन्म व मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत निरथ में दर्ज करवाने बारे आवेदन पत्र, अन्य दस्तावेज ब्यान हल्फी दिया है। प्रार्थी ने आवेदन किया है कि ज्ञान न होने के कारण वह अपने दादा की मृत्यु तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत निरथ में दर्ज न करवा सका। प्रार्थी के दादा की मृत्यु तिथि निम्न है :––

क्रम संख्या	प्रार्थी का नाम	तारीख मृत्यु
1.	स्व0 श्री हिरा लाल पुत्र कृपा राम, निवासी गांव नरोला, डा0 निरथ, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0प्र0	18–11–1932

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत निरथ में प्रार्थी के दादा की मृत्यु तिथि पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12–06–2026 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 11–05–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(सुरेश कुमार नेगी)
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

वाद संख्या : 05 / 26 तारीख दायार : 05–05–2026

1. श्री विनोद कुमार पुत्र राम स्वरुप, निवासी गांव व डा0 भुट्टी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 .. वादी।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी।

विषय.––प्रार्थना–पत्र बाबत ग्राम पंचायत निरथ में मृत्यु पंजीकरण बारे।

यह दरख्वास्त श्री विनोद कुमार पुत्र राम स्वरुप, निवासी गांव व डा0 भुट्टी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 ने इस कार्यालय में अपने चचेरे दादा स्व0 श्री दिता पुत्र नाथू, निवासी गांव नरोला, डा0 निरथ, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0प्र0 की मृत्यु तिथि जन्म व मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत निरथ में दर्ज करवाने बारे आवेदन पत्र, अन्य दस्तावेज ब्यान हल्फी दिया है। प्रार्थी ने आवेदन किया है कि ज्ञान न होने के कारण वह अपने चचेरे दादा की मृत्यु तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत निरथ में दर्ज न करवा सका। प्रार्थी के चचेरे दादा की मृत्यु तिथि निम्न है :––

क्रम संख्या	प्रार्थी का नाम	तारीख मृत्यु
1.	स्व0 श्री दिता पुत्र नाथू, निवासी गांव नरोला, डा0 निरथ, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0प्र0	23–06–1902

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत निरथ में प्रार्थी के चचेरे दादा की मृत्यु तिथि पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12–06–2026 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 11–05–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(सुरेश कुमार नेगी)
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

––––––––

In the Court of Shri Chand Ram Kashyap, Executive Magistrate-cum**-Naib Tehsildar Shimla (R), District Shimla (H.P.)**

Sh. Prem Dass s/o Sh. Nokhiya Ram, r/o Village Bandi, P.O. Maloothi, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public . . *Respondent.*

Whereas, Sh. Prem Dass s/o Sh. Nokhiya Ram, r/o Village Bandi, P.O. Maloothi, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh, has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his named Sh. Prem Dass, s/o Sh. Nokhiya Ram, r/o Village Bandi, P.O. Maloothi, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

In the Secy-*cum*-Registrar (Birth & Death) Gram Panchayat Chamyana, Tehsil & District Shimla.

Sl. No.	Name of the family members	Relation with applicant	Date of Birth
1.	Sh. Prem Dass	Self	01-01-1963

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in to the Secy-*cum*-Registrar (Birth & Death) Gram Panchayat Chamyana, Tehsil & District Shimla H.P. may file their claims/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 12-05-2026 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate-cum-*Naib Tehsildar,*
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban)**

1. Mr. Vishrant Tripathi aged about 31 years s/o Sh. Vipul Tripathi, r/o D-5, Tower 18, Type-5, Kidwai Nagar East, New Moti Bagh, P.O. Sarojini Nagar, New Delhi-110 023.

2. Ms. Mrinalini Singha aged about 28 years d/o Sh. Sandeep Singha, r/o V.P.O. Kotgarh, District Shimla, H.P. presently residing at J-5, Keleston Estate, Shimla-171 001, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

Subject.— Proclamation of the Notice to intend marriage under Section 5 of the Special Marriage Act, 1954.

Mr. Vishrant Tripathi aged about 31 years s/o Sh. Vipul Tripathi, r/o D-5, Tower 18, Type-5, Kidwai Nagar East, New Moti Bagh, P.O. Sarojini Nagar, New Delhi-110 023 and Ms. Mrinalini Singha aged about 28 years d/o Sh. Sandeep Singha, r/o V.P.O. Kotgarh, District Shimla, H.P. presently residing at J-5, Keleston Estate, Shimla-171 001, Himachal Pradesh have filed an application and affidavits in the court of the undersigned under section 5 of the Special Marriage Act, 1954 on 13th May, 2026 and intend to get married within three calendar months from the date hereof.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any perosn who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in written before this court on or before 12th June, 2026 from the date of this notice after that no objection will be entertained and marriage shall be registered accordingly.

Issued today on 13th May, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-
(OSHIN SHARMA, HAS),
Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate Shimla (Urban).

In the Court of Shri Chand Ram Kashyap, Executive Magistrate-cum-**Naib Tehsildar Shimla (R), District Shimla (H.P.)**

Sh. Mohan Dutt Sharma s/o Narayan Dutt, r/o Village Bhont Padhog, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public . . *Respondent.*

Whereas, Sh. Mohan Dutt Sharma s/o Late Sh. Narayan Dutt, r/o Village Bhont Padhog, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his named Sh. Mohan Dutt Sharma s/o Late Sh. Narayan Dutt, r/o Village Bhont Padhog, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh. In the secy-*cum*-Registrar (Birth & Death) Gram Panchayat Bhont, Tehsil & District Shimla.

Sl. No.	Name of the family members	Relation with applicant	Date of Birth
1.	Mohan Dutt Sharma	Self	09-06-1976

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in to the Secy-*cum*-Registrar (Birth & Death) Gram Panchayat Bhont, Tehsil & District Shimla H.P. may file their claims/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 04-05-2026 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-
Executive Magistrate-cum-*Naib Tehsildar,*
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum- **Sub-Divisional Magistrate, Shimla Rural, District Shimla, H.P.**

1. Sh. Daya Nand s/o Late Sh. Chet Ram, r/o Village Gadawag, P.O. Chailly, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh, Age 78 years.

2. Smt. Vidya Devi w/o Sh. Daya Nand, d/o Sh. Daulat Ram, r/o Village Gadawag, P.O. Chaily, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh, Age 75 years.

Versus

General Public

Registration of marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Sh. Daya Nand s/o Late Sh. Chet Ram, r/o Village Gadawag, P.O. Chailly, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh and Smt. Vidya Devi w/o Sh. Daya Nand, d/o Sh. Daulat Ram, r/o Village Gadawag, P.O. Chaily, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavits in the Court of the undersigned stating therin that they have solemnized their marriage on 19-11-1969 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriage of Gram Panchayat concerned/Municipal Corporation Shimla.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, then they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before one month of publication of this notice. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 02-05-2026.

Seal. Sd/-

Additional District Registrar of Marriage
-cum-*Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural).*

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Kumarsain, District Shimla (H.P.)

Sarojna Devi w/o Sh. Prakash Chand, r/o V.P.O. Bhareri, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public

Notice/Proclamation Regarding Correction of Name in Aadhar Card of Sariojna Devi.

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of name of her from Saroj to Sarojna Devi in the record of Aadhar Card and all other relevant documents associated with the application.

Now, therefore, the objection are invited from the general public that if anyone has any objection regarding change of name as Sarojna Devi in place of Saroj, they should appear before the undersigned on or before 05-06-2026 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 06-05-2026 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

*(*MUKESH SHARMA, HAS*),*
Sub-Divisional Magistrate,
Kumarsain, Distt. Shimla (H.P.).

In the Court of Assistant Collector II Grade-cum-Naib Tehsildar, Nankhari, District Shimla (H.P.)-172 021

Case No. : 704716/2026 Date of Next Hearing : 21-05-2026

In the matter of :

Mamta w/o Shri Kishori Lal, r/o Village Dhawati, P.O. Danawali, Tehsil Nankhari, District Shimla, H.P. . . *Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application of correction of Name Under Section 37 of Land Revenue Act, 1954.

Whereas, Sawitra Mamta w/o Sh. Kishori Lal, r/o Village Dhawati, P.O. Danawali, Tehsil Nankhari, District Shimla, H.P. has submitted an application under section 37 of the Land Revenue Act, 1954 alongwith all supportive documents such as affidavit, Aadhar Card, Jamabandi Parcha in the court of undersigned.

Wherein she stated that she belongs to above mentioned address. Her name is written as Rambha Devi in the revenue record of Mohal Dhawati, Tehsil Nankhari which is wrong. Her original/correct name is "Mamta". Therefore, she requests to correct her name as "Mamta" instead of Rambha Devi in the revenue record of Mohal Dhawati, Tehsil Nankhari as per supportive documents enclosed by herself with the application.

Therefore, through this proclamation in gazette/leading newspaper, the general public is hereby informed that if any person having any objection for entry of correction in name of applicant mentioned above, may submit his/her objection in writing to this court on or before 21-05-2026. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on dated 22-04-2026.

Seal. Sd/-
Assistant Collector II Grade,
Tehsil Nankhari, District Shimla, (H.P.).

In the Court of Assistant Collector I Grade-cum-**Tehsildar, Nankhari,**
District Shimla (H.P.)-172 021

Case No. : 704717/2026 Date of Next Hearing : 21-05-2026

In the matter of :

Inder Dass s/o Sh. Tilaku Ram, r/o Village Kainthla, P.O. Kharahan, Tehsil Nankhari, District Shimla, H.P. . . *Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application of correction of Name Under Section 37 of Land Revenue Act, 1954.

Whereas, Jarmi Inder Dass s/o Sh. Tilaku Ram, r/o Village Kainthla, P.O. Kharahan, Tehsil Nankhari, District Shimla, H.P. has submitted an application under section 37 of the Land Revenue Act, 1954 alongwith all supportive documents such as affidavit, Aadhar Card, Parivar Nakal Pan Card, Jamabandi Parcha etc. in the court of undersigned.

Wherein he stated that he belongs to above mentioned address. He is name is written as Indru and his fathers name is written as Tilaku in the revenue record of Mohal Juni, Tehsil Nankhari which is wrong. His original/correct name is "Inder Dass" and his father's original/correct name is "Tilaku Ram". Therefore, he requests to correct his name as "Inder Dass" and his father's correct name as "Tilku Ram" instead of Indru and Tilaku respectively in the revenue record of Mohal Juni, Tehsil Nankhari as per supportive documents enclosed by him with the application.

Therefore, through this proclamation in gazette/leading newspaper, the general public is hereby informed that if any person having any objection for entry of correction in name of applicant and his father mentioned above, may submit his/her objection in writing to this court on or before 21-05-2026. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on dated 22-04-2026.

Seal. Sd/-
Assistant Collector I Grade,
Tehsil Nankhari, District Shimla (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Megistrate, Kumarsain, District Shimla (H.P.)

Sheetal Shyam s/o Sh. Anil Shyam, r/o Village Ghumana, P.O. Oddi, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.) . .*Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Notice/Proclamation Regarding Correction of Name Aadhar Card of Angel Chauhan.

Whereas, the above name applicant has submitted an application for the correction of name/ his daughter from Enjal Shyam to Angel in the record of Aadhar Card and all other relevant documents associated with the applicantion.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding change of name as Angel in place of Enjal Shyam they should appear before the undersigned on or before 05-06-2026 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without afording any further opportunity of being heard.

Issued today on 06-05-2026 under my hand and seal of the Court.

Seal. Sd/-

(MUKESH SHARMA, HAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Kumarsain, District Shimla (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate-cum-**Naib Tehsildar, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla (H.P.)**

Application No. : 02/2026 Date of Institution : 24-04-2026

Smt. Prema Devi d/o Sh. Molak Ram at present w/o Shri Jagdish Dutt, r/o Village Jaghedi, P. O. Pahal, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, H.P.

Versus

General Public . . *Respondent.*

Application regarding delayed registration of births event under section 13(3) of the Birth & Deaths Registration Act, 1969.

Whereas, Smt. Prema Devi d/o Sh. Molak Ram at present w/o Shri Jagdish Dutt, r/o Village Jaghedi, P. O. Pahal, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, H.P. has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Deaths Registration Act, 1969 to enter the date of birth 14-09-1956 in the record of Regisrar, Birth & Death Gram Panchyat Thachi/Kotla.

And whereas, the District Registrar, (Births & Deaths) Shimla has verified the facts about the delayed Registation of Birth event of Smt. Prema Devi d/o Molak Ram *vide* letter No. HFW-SML(B&D)/Prior/01-04-1970-2472, dated 27-03-2026.

Sl. No.	Name of the family members	Place of Birth	Date of Birth
1.	Smt. Prema Devi d/o Sh. Molak Ram at present w/o Sh. Jagdish Dutt, r/o Village Jaghedi, P.O. Pahal, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, H.P.	Village Katha, P.O. Pahal, (G.P. Thachi/Kotla) Sub-Tehsil Dhami, District Shimla.	14-09-1956

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding/Correction of the date of birth of above named in the record of Registrar, Birth & Death Gram Panchayat Thachi/Kotla may file their claims/objections on or before one month from the date of Publication of this notice in Government Gazette, in this Court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 12-05-2026 under my Signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate,
Sub-Tehsil Dhami, District Shimla (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या : 703625/2026 तारीख मजरुआ : 12–03–2026 आगामी तारीख : 16–06–2026

श्री नारायण दास पुत्र नोखू, निवासी ग्राम महाल खटनोल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी श्री नारायण दास पुत्र नोखू, निवासी ग्राम महाल खटनोल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त खटनोल, मौजा खटनोल, तहसील सुन्नी के राजस्व अभिलेख में उनका नाम नरायणू पुत्र नोख राम दर्ज है, जोकि गलत इन्द्राज हुआ है यह कि अन्य दस्तावेजों में उनका नाम नारायण दास पुत्र नोख राम दर्ज है जो सही व दुरुस्त है। अतः प्रार्थी ने आग्रह किया है कि उपरोक्त वर्णित महाल खटनोल पटवार वृत्त खटनोल के राजस्व अभिलेख में उनका नाम नारायण दास उर्फ नारायणू दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16–06–2026 को या इससे पहले असालतन व वकालतन अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज जेरे समायत नहीं होगा तथा प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में नारायण दास उर्फ नरायणू पटवार वृत्त खटनोल के मौजा खटनोल व अन्य सभी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 11–07–2026 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या : 703644/2026 तारीख मजरुआ : 20–04–2026 आगामी तारीख : 16–06–2026

श्री जोगेन्द्र पुत्र बीर सिंह, निवासी गांव नडूखर, पटवार वृत्त बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी श्री जोगेन्द्र पुत्र बीर सिंह, निवासी गांव नडूखर, पटवार वृत्त बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर इस कार्यालय में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त बसन्तपुर, मौजा नडुखर, तहसील सुन्नी के राजस्व अभिलेख में उनका नाम योगेन्द्र सिंह पुत्र बीर सिंह दर्ज है, जोकि गलत इन्द्राज हुआ है यह कि अन्य दस्तावेजों में उनका नाम जोगिन्द्र सिंह पुत्र बीर सिंह दर्ज है जो सही व दुरुस्त है। अतः प्रार्थी ने आग्रह किया है कि उपरोक्त वर्णित महाल नडूखर पटवार वृत्त बसन्तपुर के राजस्व अभिलेख में उनका नाम जोगेन्द्र सिंह उर्फ योगेन्द्र सिंह पुत्र बीर सिंह दुरुस्त कर दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16–06–2026 को या इससे पहले असालतन व वकालतन अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज जेरे समायत नहीं होगा तथा प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में जोगिन्द्र सिंह उर्फ योंगेन्द्र सिंह पुत्र बीर सिंह पटवार वृत्त बसन्तपुर के मौजा नडुखर व अन्य सभी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 11–07–2026 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0)।

———————

CHANGE OF NAME

I, Gitta Devi w/o Sh. Dalel Singh, r/o V.P.O Khuthrin, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Geeta Devi to Gitta Devi. I shall be known as Gitta Devi for all purposes in future. All concerned please note.

GITTA DEVI
w/o Sh. Dalel Singh,
r/o V.P.O Khuthrin,
Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Lokiya s/o Sh. Goriya, r/o Village Toga, P.O. Athedgwalu, Tehsil Salooni and Distt. Chamba (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing No. 8702 0095 7339, my name is wrongly entered as Loki Nand. Whereas, my correct name is Lokiya. I shall be known as Lokiya for all purposes in future. All concerned please note.

LOKIYA
s/o Sh. Goriya,
r/o Village Toga, P.O. Athedgwalu,
Tehsil Salooni and Distt. Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Pramila Devi w/o Sh. Sohan Singh, r/o Village Gahri Bhadarpur, P.O. Paunta, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Promila Thakur to Pramila Devi for all purposes in future. All concerned please note.

PRAMILA DEVI
w/o Sh. Sohan Singh,
r/o Village Gahri Bhadarpur, P.O. Paunta,
Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Maya Devi w/o Sh. Rajeev Kumar, r/o Village Sanghol, P.O. Sanghol, Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.) declare that in birth Certificate of my minor daughter, her name & my names are wrongly entered as Ridima & Maya respectively. Whereas, correct name of my minor daughter is Ridima Guleria & my correct name is Maya Devi. All concerned please note.

MAYA DEVI
w/o Sh. Rajeev Kumar,
r/o Village Sanghol, P.O., Sanghol,
Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Shanta Sharma w/o Sh. Chuni Lal, r/o Village Kandbari, P.O. Kamlehar, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Shanti Devi to Shanta Sharma. I shall be known as Shanta Sharma for all purposes in future. All concerned please note.

SHANTA SHARMA
w/o Sh. Chuni Lal,
r/o Village Kandbari, P.O. Kamlehar,
Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Savita Devi aged 35, mother of Nakshita Devi (w/o Mr. Akshay Kumar), I am a permanent, r/o Village Thanpuri, P.O. 53 Miles, Tehsil Nagrota Bagwan, Distt. Kangra (H.P.) my daughter's name is incorrectly entered in her Aadhar Card as "Baby One", *i.e*. Savita, which is incorrect. My daughter's correct and real name in her birth certificate issued by Dr. RPGMC Tanda is Nakshita. Please note.

SAVITA DEVI
mother of Nakshita Devi,
w/o Mr. Akshay Kumar,
r/o Village Thanpuri, P.O. 53 Miles,
Tehsil Nagrota Bagwan, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Neeraj s/o Sh. Vidya Prakash Sharma, r/o House No. 31, Phase 1, Houseing Board Colony Bilaspur, Tehsil Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my name from Neeraj to Neeraj Sharma. All concerned please may note.

NEERAJ
s/o Sh. Vidya Prakash Sharma,
r/o House No. 31, Phase 1,
Houseing Baord Colony Bilaspur,
Tehsil Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Gayatri Kashyap w/o Sh. Ashok Kumar, r/o Village Thoti, P.O. Kiar Koti Ghati (301), Shimla, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my son's name from (Baby Two of Gayatri) to Ishaan. Concerned authorities may note.

GAYATRI KASHYAP
w/o Sh. Ashok Kumar,
r/o Village Thoti,
P.O. Kiar Koti Ghati (301),
Shimla, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Jatin Rahi s/o Sh. Baldev Kumar, Ward No. 7, V.P.O. Shanan, Tehsil Joginder Nagar, Mandi, Distt. Mandi (H.P.) in my Pass Port No. P5636489 as Jatin is wrongly entered. My correct name is Jatin Rahi.

JATIN RAHI
s/o Sh. Baldev Kumar,
Ward No. 7, V.P.O. Shanan,
Tehsil Joginder Nagar,
Mandi, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vineet Rai Sood s/o Sh. Kishori Lal Sood, r/o Near Chowk Baazar, Hari Kripa Niwas, Ban Street, Solan, District Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Vineet Rai to Vineet Rai Sood. All concerned please may note.

VINEET RAI SOOD
s/o Sh. Kishori Lal Sood,
r/o Near Chowk Baazar, Hari Kripa Niwas,
Ban Street, Solan, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kusam Lata w/o Sh. Naresh Kumar, r/o Village Mandohar, P.O. Rangas, Tehsil Nadaun District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Kusum Lata to Kusam Lata. I shall be known as Kusam Lata for all purposes in future. All concerned please may note.

KUSAM LATA
w/o Sh. Naresh Kumar,
r/o Village Mandohar, P.O. Rangas,
Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Pravishna Kumari w/o Sh. Mohit Kumar, r/o Verma Niwas, Village Mazhyat, Shimla Urban (T), Totu, Shimla (H.P.)-171 011 declare that I have changed my daughter's name from Ulppy (Previous Name) to Ulpya (New Name). All concerned please may note.

PRAVISHNA KUMARI
w/o Sh. Mohit Kumar,
r/o Verma Niwas, Village Mazhyat,
Shimla Urban (T), Totu, Shimla (H.P.)-171 011.

CHANGE OF NAME

I, Manju Devi w/o Sh. Yashpal Singh Dogra, r/o Village Tappa, P.O. Pahra, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Somya to Somya Dogra. She shall be known as Somya Dogra for all purposes in future. All concerned please may note.

MANJU DEVI
w/o Sh. Yashpal Singh Dogra,
r/o Village Tappa, P.O. Pahra,
Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Vipin Chand s/o Sh. Bhola Nath, r/o Ward No. 6, Dehra, Dera Gopipur (T), P.O. Dehra District Kangra (H.P.) declare that in Aadhar Card of my minor daughter having No. 6657 8825 8906, her name is wrongly entered as Sadhvika. Whereas, her correct name is Vamika Koundal. All concerned please note.

VIPIN CHAND
s/o Sh. Bhola Nath,
r/o Ward No. 6, Dehra, Dera Gopipur (T),
P.O. Dehra District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sikander Ali s/o Sh. Shamsher Ali, r/o Village Rampur Banjaran, P.O. Dhaula Kuan, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from "Baby of Shabanam Khatoon" to Arfa Malik.

SIKANDER ALI
s/o Sh. Shamsher Ali,
r/o Village Rampur Banjaran, P.O. Dhaula Kuan,
Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Krishna Gopal aged about 44 years s/o Sh. Geeta Ram, r/o Village Khanoa, P.O. Khillian, Sub-Tehsil Panjehra, Nalagarh, District Solan (H.P.) declare that my son's correct name is Rahul Chaudhary as recorded in the school records, the records of Panchayat Bairchha and other documents, whereas, due to an error, his name is recorded as Ramanand in his Aadhar Card. This error should be rectified, and the name corrected to Rahul Chaudhary. Let all take note.

KRISHNA GOPAL
s/o Sh. Geeta Ram,
r/o Village Khanoa, P.O. Khillian,
Sub-Tehsil Panjehra, Nalagarh, District Solan (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट https://rajpatra.hp.gov.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।